लोन दिलाने के नाम पर मंडला, जबलपुर क्षेत्र की 235 महिलाओं से 3 लाख 64 हजार की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मंडला, देशबन्धु। थाना बीजाडांडी की त्वरित कार्यवाही, लोन दिलाने के नाम पर क्षेत्र की महिलाओं से धोखाधड़ी कर मोटी रकम हड़पने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता, आदतन अपराधी के विरुद्ध पूर्व से 05 प्रकरण दर्ज दिनांक 07 जून 2025 को ग्राम झुरकी की 15 महिलाओं द्वारा चौकी मनेरी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लोन दिलाने के नाम पर बीमा शुल्क के रूप में 1550 प्रति महिला लिए गए हैं, किन्तु लोन प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा महिलाओं को झूठे आश्वासन देकर लोन दिलाने के नाम पर आर्थिक रूप से धोखा दिया गया। शिकायत पर थाना बीजाडांडी में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण के शीघ्र खुलासे हेतु एसडीओपी निवास के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना बीजाडांडी पुलिस द्वारा की गई गहन जांच में सामने आया कि आरोपी रोशन कुमार चौधरी उर्फ अरविंद कुमार मेहता पिता बेनी प्रसाद चौधरी, उम्र 42 वर्ष, निवासी अवंतीबाई वार्ड, ग्राम छेवला, थाना

ग्वारीघाट, जिला जबलपुर कृ स्वयं को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लोन एजेंट बताकर महिलाओं को रोजगार हेतु 1.20 लाख का बिना ब्याज लोन दिलाने का झांसा देता था। आरोपी बीमा शुल्क के नाम पर प्रत्येक महिला से 1550 नगद लेकर उनसे आधार कार्ड, समग्र प्क, बैंक पासबुक की छायाप्रति भी लेता था। कई मामलों में वह फर्जी रसीद या हस्ताक्षरित ग्रीन पेपर भी देता था। लोन स्वीकृति का भ्रम देने हेतु वह फर्जी लोन पास मैसेज भी महिलाओं को मोबाइल पर भेजता था। आरोपी ने मंडला, जबलपुर जिले के बीजाडांडी, मनेरी, टिकारिया, कुण्डम, बरेला क्षेत्रों की कुल 235 महिलाओं से 3,64,250 की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सुजुकी सियाज कार, एक पल्सर मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त), नगद, 2 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज जप्त किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 11,77,25 है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज है। जिसमें थाना पाटन ,शहपुरा, कंटगी, माढोताल एवं बरेला थाना में पंजीबध्द अपराध की जानकारी प्राप्त हुई है।

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपनी मां के नाम का स्टाम्प पेपर, फर्जी आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व रंगीन छायाप्रतियाँ तैयार कर महिलाओं को भ्रमित किया। इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर उसका दुरुपयोग किया, ताकि वह असली पहचान छिपाकर ठगी को अंजाम दे सके।

पुलिस टीम – एसडीओपी निवास के निर्देशन में निरीक्षक पी.के.मुवेल थाना प्रभारी बीजाडांडी, मनेरी चौकी प्रभारी उप निरी. कुंवर बिसेन, उप निरी पंकज विश्वकर्मा, प्र.आर. अभिषेक मिश्रा , नारायण उइके,आर. अनुपम, मुकेश म.आर. प्रियंका, सै.यजुवेन्द्र चौहान, साईबर सेल मण्डला का योगदान रहा। प्रकरण के खुलासे एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

शासकीय आईटीआई में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन 16 तक

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला योजना भवन में आईटीआई में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राचार्य आईटीआई ने बताया कि जिले के सभी शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार हेतु तिथि 16 जून 2025 कर दी गई हैं। इसके साथ ही इस वर्ष महिलाओं के लिए समस्त व्यवसायों में 35 प्रतिषत स्थान आरक्षित हैं। आईटीआई में स्थापित हेल्प डेस्क में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हैं। इच्छुक अभ्यार्थी ऑनलाईन के माध्यम से विभाग के डीएसडी पोर्टल पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार आदि कर सकेंगे। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए आवेदक विभाग के डीएसडी पोर्टल पर अथवा निकट की शासकीय आईटीआई में स्थापित हेल्प डेस्क से स्वयं उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने प्राचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रवेश के संबंध में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार करें। संबंधित छात्रावासों में स्वयं भ्रमण कर सुविधाएं बेहतर कराएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर अरविंद सिंह, जेपी यादव, आईटीआई के प्राचार्य आरएस वरकड़े सहित संबंधित उपस्थित रहे।

सार-समाचार

नगरपालिका परिषद मंडला के 19 बीपीएल कार्डधारी अपात्र

मंडला, देशबन्धु। अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार गठित जांच दल द्वारा कार्यालय नगरपालिका परिषद मंडला से प्राप्त शहीद उदयचंद वार्ड, श्रीराम वार्ड, लाल बहादुरशास्त्री वार्ड तथा दादा धनीराम वार्ड के कुल 19 अपात्र लोगों के बीपीएल कार्ड को निरस्त करने के लिए सूची प्राप्त हुई जिसके अनुसार विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई की गई। इसके उपरांत संबंधित बीपीएल धारकों के कार्ड को अपात्र किया गया।

सीएम डैशबोर्ड में अपने स्कोर बेहतर करें सभी विभाग : कलेक्टर

मंडला, देशबन्धु। जिला योजना भवन में समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बैठक में कहा कि माह अप्रैल एवं मई के टीएल पत्रों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण कराएं। एडीएम इसका विभागवार फॉलोअप लें। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड में जिले की रैंकिंग के संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिले की वर्तमान रैंकिंग संतोषजनक नहीं है। सभी विभाग प्रमुख केपीआई इंडीकेटर्स को गंभीरता से लेते हुए तदानुसार कार्यवाही करें और अपने स्कोर बेहतर करें।

उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्कोर बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव में बेहतर कार्य करते हुए स्कोर में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार आदिवासी विकास, नगरीय विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन जैसे विभाग भी आगामी 4 दिवस में अपने स्कोर बढ़ाएं। सीएम हेल्पलाईन के विषय में समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सप्ताहांत में कार्य की गति धीमी होने के कारण जिले की रैंकिंग गिरी है। सभी विभाग प्रमुख मई माह की शिकायतों को आगामी एक हफ्ते में संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराते हुए अपनी विभागीय रैंकिंग बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि 50 दिवस वाली शिकायतों पर विशेष फोकस करें साथ ही जिन विभागों की शिकायतें एक हजार दिवस से अधिक की हैं वह विशेष रूप से इन शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निम्न गुणवत्ता के लिए पीडब्ल्यूडी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग और नॉन अटेंडेंट शिकायतों के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी व आदिवासी विकास विभाग पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये।

जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि डगवेल रिचार्ज एवं नवीन खेत तालाब के प्रगतिरत कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बीजांकुर अभियान के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग दिए गए लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित संख्या में शीडबॉल 15 जून तक तैयार कर लें। शहरी क्षेत्रों में भी संबंधित निकाय शीडबॉल तैयार कराएं। वन विभाग, आंगनवाड़ी, एनआरएलएम, जन अभियान परिषद तथा जनपद पंचायत पृथक-पृथक शीडबॉल तैयार कर रखें। माह के अंतिम सप्ताह में शीडबॉल के माध्यम से एकसाथ सभी जनपद पंचायतों सहित जिला में निर्धारित स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया जायेगा।

समग्र ई-केवाईसी के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पिछले सप्ताह की तरह ही इस सप्ताह भी 4 दिवसीय समग्र ई-केवाईसी अभियान चलाया जायेगा। जिन अधिकारियों की सेक्टर में ड्यूटी लगाई गई है सभी सेक्टर प्रभारी पिछले हफ्ते के बैकलॉग सहित इस हफ्ते का लक्ष्य मिलाकर आगामी 4 दिवस में पूर्ण कराएंगे। बैठक में वन अधिकार, स्वच्छता सर्वेक्षण, सर्वेक्षण संबंधी मोबाईल एप्लीकेशन, जल स्त्रोतों के क्लोरीनेशन, मिशन कर्मयोगी, समाधान ऑनलाईन, उर्वरक भंडारण, वाहन दुर्घटना प्रकरण, ई-ऑफिस, फूड ईकेवाईसी, मेडीकल टीम तथा अंतर्विभागीय बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर अरविंद सिंह, जेपी यादव, संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा, समस्त एसडीएम तथा संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

तनखा मेमोरियल स्कूल में इसाफ बैंक ने किया पौधरोपण

मण्डला, देशबन्धु। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 2 जून से 13 जून तक मनाए जा रहे पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल बड़ी खैरी मण्डला में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईसाफ बैंक के ब्रांच मैनेजर सिद्धार्थ सिंह चौहान, सीनियर ऑफिसर सुश्री अंकिता पांडे और अंकुश चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में स्कूल के सचिव संजय तिवारी, कोषाध्यक्ष अजय खोत, प्राचार्य सीमा तिवारी, दीप्ति मिश्रा, श्वेता शुक्ला, नगीना बेगम सहित समस्त स्टाफ की सहभागिता रही। सभी ने मिलकर विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना था।

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

मंडला, देशबन्धु। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मण्डला ने आरोपी मोसीन दीवान पिता हुसैन शाह फकीर उम्र 19 वर्ष निवासी वारिसणा, थाना रखियाल, गांधीनगर गुजरात को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल), 5 (जे) (पप) 6 सहपठित एससीध्एसटी एक्ट की धारा 3(2) (अ) में आजीवन कारावास एवं फुल 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन कहानी संक्षिपत में इस प्रकार है, अभियोक्त्री की मां ने दिनांक 02.06.2022 को थाना बम्हनी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी दो लड़की एवं एक लड़का है, उसके मायके में शादी थी, जिसमें सम्मिलित होने वह तथा बड़ी लड़की अभियोक्त्री दिनांक 21.04.2022 को गये थे, शादी होने के बाद दिनांक 25.04.2022 को रात्रि 10-11 बजे वह अभियोक्त्री के साथ खाना खाकर सो गये। दिनांक 26.04.2022 की रात्रि करीब 1-2 बजे नीद खुली तो अभियोक्त्री बिस्तर पर नहीं थी, तब उसने अपने भाई को बताया कि अभियोक्त्री कहीं चली गई है फिर उन्होंने अभियोक्त्री की पतासाजी की किन्तु कोई पता नहीं बता और उन्हें शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बम्हनी में अपराध कंमाक 327ध्2022 अन्तर्गत चारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया तथा दिनांक 16.07.2022को अभियोक्त्री को जमालपुर थाना कपडगंज जिला खेड़ा गुजरात से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया एवं पुलिस चौकी अंजनिया लाया गया।

पुलिस चौकी अजनिया में अभियोक्त्री से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वह ऑनलाईन पढ़ाई करती थी उसके मोबाईल के इंस्ट्राग्राम में मोसिन नाम के लड़के का बार-बार मैसेज आने लगा और दोस्ती करने की बात करने लगा, अभियोक्त्री ने कहा कि वह पढ़ाई कर रही है उसे परेशान मत करो, तब अभियुक्त मोसिन यह कहने लगा कि यह उसे पंसद करता है और बात न करने पर अपना हाथ काट लेने की धमकी दी जिससे अभियोक्त्री डर गई और फोन पर अभियुक्त से बात करने लगी।

अभियुक्त, अभियोक्त्री के मोबाईल पर उससे बात करता था और कहता था कि वह शादी करेगा, तब अभियोक्त्री ने कहा कि यह नाबालिग है तथा एससी समाज की है तो अभियुक्त ने कहा कि वह धर्म नहीं मानता है और यह कहकर कि दो साल बाद जब वह बालिग हो जाएगी तब शादी कर लेगा, साथ चलने के लिए कहा। जब अभियोक्त्री, अभियुक्त से फोन से बात कर रही थी तब उसके मामा ने उन्हें देख लिया और अभियोक्त्री का मोबाईल उसके माता-पिता को दे दिया, तब अभियोक्त्री ने मामा के मोबाईल में इंस्ट्राग्राम आई.डी. बनाकर अभियुक्त से संपर्क की और अभियुक्त को बताया कि उसके घरवालों को पता चल गया है, तब अभियुक्त दिनांक 24.4.2022 को रात्रि 1 बजे उसे लेने उसके मामा के गांव आया तब वह उससे पहली बार मिली।

पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी

मंडला, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आखिरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है लगातार पत्रकारों के साथ मारपीट गाली गलौज व जान से मारने की धमकी जैसी घटनाएं घटित हो रही है इसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई परिणामकारी प्रयास नहीं किया जा रहे हैं यही वजह है कि पत्रकार आज भी इस जिले में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं मंडला जिले के पत्रकार मंडला जिले की समस्याओं को लगातार उजागर कर रहे हैं और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं यह बात अलग है कि प्रकाशित खबरों पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही है शासन प्रशासन द्वारा प्रकाशित खबरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेकिन पत्रकार लगातार जन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और सभी का

ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन पत्रकारों की जान को खतरा है इसके बावजूद शासन प्रशासन की बेहोशी टूट नहीं पा रही है फिर एक मामला सामने आया है मंडला के पत्रकार गोवर्धन कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है एक जमीन से जुड़ी खबर को प्रकाशित करने की वजह से घुघरी के सुनील अग्रवाल और आशीष अग्रवाल द्वारा गाली-गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है इस संबंध में संबंधित पत्रकार और सभी पत्रकार साथियों ने शिकायत दर्ज कराई है शिकायत पुलिस थाना कोतवाली में की गई है और जांच की मांग की गई है साथ में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है गाली गलौज और धमकी फोन के माध्यम से दी गई है पुलिस थाना कोतवाली में शिकायत करने के बाद थाना प्रभारी द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया हैलेकिन अभी तक एक भी प्रकरण में सही कार्रवाई नहीं हो पाई है पूर्व में नैनपुर के पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी घटना की सही जांच आज तक नहीं हो पाई है इसी तरह और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनकी जांच पड़ताल में क्या किया जा रहा है किसी को ज्ञात नहीं हो पा रहा है गोवर्धन कुशवाहा द्वारा भी शिकायत की गई है इस शिकायत पर कितनी तत्परता से कार्रवाई की जाएगी

पत्रकारों का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है पत्रकारों ने मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्रकाशित खबरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

20 ग्रामों के पेयजल स्त्रोतों में किया गया क्लोरिनेशन

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडला द्वारा प्रतिदिन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल स्त्रोतों में जर्मेक्स डालकर क्लोरिनेशन कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर गठित टीम द्वारा ब्लॉक बिछिया के ग्राम माधोपुर, जगन्नाथर, नरैनी माल, घटिया, छिछारी, उमरडीह, चरगांव ब्लॉक मंडला के ग्राम कोटा सांगवा, खारी, बेरपानी, सिलगी, ब्लॉक मोहगांव के ग्राम गुहदर, पड़रिया ब्लॉक निवास के मसूर घुघरी, ब्लॉक नारायणगंज के ग्राम पद्मी, चरगांव ब्लॉक नैनपुर के ग्राम सुभेवाड़ा, मलधा, ब्लॉक घुघरी के ग्राम घुघरी एवं मांगा में स्थापित समस्त पेयजल स्त्रोतों का क्लोरिनेशन किया गया। साथ ही ग्रामीणों को पानी को उबालकर, छानकर, शुद्ध पानी पीने एवं ताजा भोजन करने की समझाइश दी गई।

गौवंश वध करने वाले आरोपी गिरफ्तार

मंडला, देशबन्धु। ग्राम ईमलीटोला में कुछ व्यक्ति गौवंश का वध कर गौमांस ले जाकर मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी जांच करने पर मौके से गौवंश वध के साक्ष्य, नीला-सफेद गमछा व अन्य सबूत मिले। आरोपियों के विरुद्ध थाना नैनपुर में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धाराओं में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए गए।

एसडीओपी नैनपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक बलदेव सिंह मुजाल्दा एवं चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजकुमार हिरकने के नेतृत्व में टीम गठित कर सघन पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर ग्राम तेंदुआ बम्हनी निवासी दो आरोपियों के द्वारा उक्त घटना कारित करने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी लक्ष्मण सिंह उइके को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद किया गया था।

घुटास में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रतियोगिताओं का आयोजन

बालिकाओं को दी साइबर अपराध, बाल विवाह और महिला हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी

मण्डला, देशबन्धु। जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी महिला एवं बाल विकास विभाग मण्डला के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजना किया गया। ग्राम पंचायत घुटास ब्लॉक मवई तह बिछिया में कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालिकाओं का एच.बी. टेस्ट करवाया गया। तत्पश्चात बालिकाओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, मेंहदी प्रतियोगिता, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता के साथ-साथ सेल्फी एवं हस्ताक्षर अभियान किया गया। उक्त कार्यक्रमों के बाद वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले द्वारा लोगों को साइबर अपराध से बचने एवं साईबर सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया और बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों से भी लोगों को अवगत करा गया। तत्पश्चात वन

स्टॉप सेंटर केसवर्कर साक्षी पटवा द्वारा सी-डेग महिला हेल्पलाईन 181 के बारे में लोगों को बताया। साथ ही पेरालीगल वॉलेंटियर शिखा श्रीवास्तव द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को दी जाने वाली सहायताओं एवं उनके सारथी अभियान के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात परियोजना अधिकारी मवई ओमकार सिंह मसराम द्वारा पोषण से संबंधित जानकारी को लोगों के साथ साझा किया एवं एनीमिया से संबंधी जानकारी व खून की कमी के दौरान संतुलित आहार जैसे गुड़, चना, मूंगफली इत्यादि के बारे में बताया। वन स्टॉप सेंटर केसवर्कर सुश्री आशा नंदा द्वारा वन सेंटर में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया साथ ही 100 डायल एवं 112 हेल्प लाईन नंबरों, 1098 चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर एवं 1090 महिला हेल्प लाईन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सम्मिलित हुई बालिकाओं को पुरूस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। साथ ही स्वछता अभियान के तहत् किशोरी बालिकाओं को सैनेटरी पैड का वितरण कर उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया। उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण लोग, किशोरी बालिकाएं, जनप्रतिनिधि, परियोजना मवई से पर्यवेक्षक श्रीमती सुलोचना सैयाम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं व वन स्टॉप से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हरीशंकर कछवाहा उपस्थित रहे।